



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 155 राँची, मंगलवार,

27 फरवरी, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

21 फरवरी, 2018

संख्या-एल०जी०-25/2016-21/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक-20 फरवरी, 2018 को अनुमति दे चुकीं हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2018

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या-01, 2018)

प्रस्तावना:

चूँकि सम्प्रति झारखंड राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और झारखंड राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 यथा संशोधित अधिनियम, 2017 के विभिन्न धाराओं को संशोधित, अंतःस्थापित एवं प्रतिस्थापित करने की तुरंत आवश्यकता है ।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नांकित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -
 - 1.1 यह अध्यादेश “झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2018” कहा जायेगा ।
 - 1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 - 1.3 यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
2. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-21A के परन्तुक में निम्नवत् जोड़ा जाता है:-

परन्तु यह कि, ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित नहीं है, महापौर/अध्यक्ष/उप महापौर/उपाध्यक्ष के निर्वाचन में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति को निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा विधिवत् चुनाव चिन्ह आवंटित किया जायेगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के सुसंगत प्रावधानों के तहत होगा ।
3. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-102 की तीसरी पंक्ति के अंत में-“दल/पार्टी चिन्ह” से तात्पर्य “निर्वाचन प्रतीक” भी है, जोड़ा जाता है ।
4. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 के तृतीय पंक्ति में “के पारा-7” को विलोपित किया जाता है ।
5. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 में स्पष्टीकरण के रूप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है:-

“राज्य स्तरीय दल से तात्पर्य झारखण्ड राज्य के लिए मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय/राज्यीय दल है।”
6. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 के पश्चात्, उपधारा-104 निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है:-

नगरपालिका क्षेत्र का अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार जनहित में किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र, जनगणना शहर, बसावट, पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी के रूप में अधिसूचित करे ।
7. अध्याय-2 की धारा-13 (2) के पश्चात् 13 (3) निम्नवत् जोड़ा जाता है:-

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जनहित में किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र, जनगणना शहर अथवा बसावट क्षेत्र में इस अधिनियम के लागू होने की घोषणा करते हुए नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी ताकि कालक्रम में उक्त क्षेत्र के नगर निगम, नगर परिषद् अथवा नगर पंचायत के रूप में उत्क्रमण की दशा में इस अधिनियम को लागू करने में कोई व्यवधान न हो। इस क्रम में ऐसे शहरी क्षेत्र में झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
8. अध्याय-4 की धारा-26 की उपधारा-(3) एवं धारा-28 की उपधारा-(3) के प्रथम पंक्ति में “सामान्य” शब्द को विलोपित किया जाता है ।
9. अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2)(क) में महापौर के साथ “उपमहापौर” तथा धारा-29 की उपधारा-(2)(ख) में अध्यक्ष के साथ “उपाध्यक्ष” शब्द को अन्तःस्थापित किया जाता है ।
10. अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2)(ग) एवं उपधारा-2(घ) को विलोपित किया जाता है ।

11. अध्याय-4 की धारा-30 की उपधारा-4 एवं उपधारा-5 के स्पष्टीकरण के रूप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है-

परन्तु यह कि सम्प्रति अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित एवं कार्यरत उपमहापौर/उपाध्यक्ष का कार्यकाल संबंधित निकाय के बचे हुए कार्यकाल तक होगा ।

उपमहापौर/उपाध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में संबंधित निकाय के बचे हुए कार्यकाल तक उक्त पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की कार्यवाही की जाती रहेगी ।

12. अध्याय-10 की धारा-95 के शीर्षक एवं उपधारा-1 एवं 2 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

महापौर/अध्यक्ष और उप महापौर/उपाध्यक्ष को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

(1) यदि राज्य सरकार के मत में, महापौर/अध्यक्ष अथवा उप महापौर/उपाध्यक्ष परिषद की लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने अथवा जानबुझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों को करने से उपेक्षा करने या इन्कार करने अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छह माह से अधिक फरार होने का दोषी हो तो राज्य सरकार महापौर/अध्यक्ष अथवा उप महापौर/उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश द्वारा उसे पद से हटा सकेगी ।

(2) इस प्रकार हटाया गया महापौर/अध्यक्ष अथवा उप महापौर/उपाध्यक्ष भविष्य में राज्य के किसी शहरी स्थानीय निकाय से निर्वाचन का पात्र नहीं होगा ।

13. अध्याय-45 की धारा-577 की उपधारा-(1) पहली पंक्ति में प्रत्येक शब्द के बाद “निर्वाचन लड़नेवाले” अन्तःस्थापित किया जाता है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
